यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या : 25/2022

GCMS NO-2022/48

प्रार्थी
वेद प्रकाश पूर्विया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।

बनाम

अप्रार्थी
1. श्री रमेश गांधी पुत्र स्व. किशनलाल गांधी उम्र 19 वर्ष जाति गांधी निवासी गांधी चौक पोकरण (विक्रेता) मैसर्स बद्रीनारायण नारायणदास विश्नोई धर्मशाला पोकरण जैसलमेर।
2. श्रीमति रूपा गांधी पत्नि स्व. किशनलाल गांधी उम्र 45 वर्ष जाति गांधी निवासी गांधी निवासी गांधी चौक पोकरण (विक्रेता) मैसर्स बद्रीनारायण नारायणदास विश्नोई धर्मशाला पोकरण जैसलमेर।
3. श्री जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री सुगनसिंह उम्र 31 वर्ष निवासी 68 ए गणेशनगर प्रथम बालाजी कॉलेज के पास बेनाड़ रोड हरमाड़ा जयपुर 302013 (प्रोपेराइटर) श्री लक्ष्मीनाथ फूड प्रोडेक्ट प्लॉट नंत्र 21, 21 ए कृष्णा विहार 5 रोड नं 18 आकेडा डूंगर जयपुर

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित :–
1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 व 03 की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा उपस्थित।

दिनांकः 21.06.2023

:: निर्णय ::

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थी के विरूद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.06.2022 को दोपहर 03.00 पीएम पर दौरान निरीक्षणार्थ मैसर्स बद्रीनारायण नारायणदास विश्नोई धर्मशाला पोकरण जैसलमेर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मैसर्स बद्रीनारायण नारायणदास विश्नोई धर्मशाला पोकरण जैसलमेर पर विक्रेता 1. श्री रमेश गांधी पुत्र स्व. किशनलाल गांधी उम्र 19 वर्ष जाति गांधी निवासी गांधी चौक पोकरण (मौके पर विक्रेता) कारोबार कर रहा था जिसका विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रतियां संलग्न है। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर वनस्पति (हरे कृष्णा) एक लीटर जार मे रखी मिली जिसके मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5 ए की एक

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात वनस्पति (हरे कृष्णा) एक लीटर जार जो नमूने वास्ते तोल कर दिया, जिसके पेटे 760/– रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। खरीद सुदा वनस्पति (हरे कृष्णा) को चार भागों में विभक्त कर चार खाली शिशियों में डाला तथा वास्ते परीरक्षक फॉरमलीन की 40– 40 बूंद डालकर चारों शिशियों को अच्छी तरह से बंद किए। मौके पर लेवल तैयार कर प्रत्येंक नमूना भाग पर चिपकाएं एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर एन–1388 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और शिशियों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर स्लिप एन–1388 नियमानुसार चारों नमूनो पर नीचे से उपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लिप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खादय पदार्थ का विवरण एन–1388 वनस्पति (हरे कृष्णा) लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागो को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहो को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैनें स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 06 की 06 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 06 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को पल्लव गोस्वमी के द्वारा दिनांक 24.06.2022 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नम्बर 06 की प्रति अलग से लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्यविश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 06 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को दिनांक 23.06.2022 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/9770–73 दिनांक 21.07.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या **L.S./1309/Act/2022/1307** दिनांक 06.07.2022 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड पाया गया। जिनकी जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/11435–37 दिनांक 05.09.2022 के द्वारा आवेदक खाद्यसुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में विक्रेता 1.श्री रमेश गांधी पुत्र स्व. किशनलाल गांधी उम्र 19 वर्ष जाति गांधी निवासी गांधी चौक पोकरण (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स बद्रीनारायण नारायणदास विश्नोई धर्मशाला पोकरण जैसलमेर 2. श्रीमति रूपा गांधी पत्नि स्व. किशनलाल गांधी उम्र 45 वर्ष जाति गांधी निवासी गांधी निवासी गांधी चौक पोकरण (विक्रेता) मैसर्स बद्रीनारायण नारायणदास विश्नोई धर्मशाला पोकरण जैसलमेर 3. श्री जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री सुगनसिंह उम्र 31 वर्ष निवासी 68 ए गणेशनगर प्रथम बालाजी कॉलेज के पास बेनाड़ रोड हरमाड़ा जयपुर 302013 (प्रोपेराइटर) श्री लक्ष्मीनाथ फूड प्रोडेक्ट प्लॉट नंत्र 21, 21 ए कृष्णा विहार 5 रोड नं 18 आकेडा डूंगर जयपुर ने सबस्टेण्डर्ड व मिसब्राण्ड वनस्पति (हरे कृष्णा) का विक्रय करके खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

अप्रार्थी 01 व 02 ने से की ओर से प्राप्त जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अप्रार्थी सं. 01 व 02 ने खाद्य पदार्थ वनस्पति (हरे कृष्णा) को अप्रार्थी 03 से पैकिंग में खरीदा जिस अवस्था में खरीदा उसी

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

अवस्था में विक्रय हेतु रखा गया था । प्रार्थी ने जानबूझकर हेराफेरी नही की गयी। भविष्य में ध्यान रखकर विक्रय करने का संकल्प लिया।

दोनों पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया
गया एवं न्यायालय में हाजीर हुआ है। अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व प्रार्थी की बहस सुनने के
पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खादयसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट
सं L.S./1309/Act/2022/1307 दिनांक 06.07.2022 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड व मिसब्राण्ड पाया
गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन मे साक्ष्य प्रस्तुत कर भविष्य में ध्यान रखने का संकल्प
लिया। जिससे अप्रार्थीगण पर सबस्टेण्डर्ड स्तर के वनस्पति (हरे कृष्णा)खादय पदार्थ का विक्रय के लिए
दोष साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खादयसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2
का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खादयसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 में
निर्धारित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी 1.श्री रमेश गांधी
पुत्र स्व. किशनलाल गांधी उम्र 19 वर्ष जाति गांधी निवासी गांधी चौक पोकरण (विक्रेता एवं मालिक)
मैसर्स बद्रीनारायण नारायणदास विश्नोई धर्मशाला पोकरण जैसलमेर 2. श्रीमति रुपा गांधी पत्नि स्व.
किशनलाल गांधी उम्र 45 वर्ष जाति गांधी निवासी गांधी निवासी गांधी चौक पोकरण (विक्रेता)
मैसर्स बद्रीनारायण नारायणदास विश्नोई धर्मशाला पोकरण जैसलमेर 3. श्री जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री
सुगनसिंह उम्र 31 वर्ष निवासी 68 ए गणेशनगर प्रथम बालाजी कॉलेज के पास बेनाड़ रोड
हरमाड़ा जयपुर 302013 (प्रोपेराइटर) श्री लक्ष्मीनाथ फूड प्रोडेक्ट प्लॉट नंत्र 21, 21 ए कृष्णा
विहार 5 रोड नं 18 आकेडा डूंगर जयपुर फर्म के सबस्टेण्डर्ड व मिसब्राण्ड स्तर का वनस्पति (हरे
कृष्णा) खाद्य पदार्थ विक्रय में उपयोग के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी सं. 01
व 03 पर 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल
कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद ''0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य
प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि'' में जमा करवा कर चालान की
प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर
नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर